न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/66/2025	2025/119	02.06.2025	28.10.2025

1. रंजीत सिंह पुत्र स्व. श्री सगुन्दर सिंह, उचित मूल्य दुकानदार 1/2 भाग, पोस कोड 16637, ग्रा. प. रेटा, तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राज0)।

—रेस्पाडेन्ट

अपील अर्न्तगत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विनियम आदेश, 1976 एवं जिला रसद अधिकारी अलवर का पारित निर्णय दिनांक 17.04.2025

उपस्थितः—
01. श्री श्योराम सिंह नरूका —वकील अपीलान्ट
02. श्री विभागीय पैरोकार —रैस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 17.04.2025 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 909/1997, पॉस कोड सं 16637 को निरस्त करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर रैस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट एवं विभागयी पैरोकार की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपने बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि कार्यालय जिला रसद अधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 17.4.2025 के विरूद्ध अपील हाजा पेश की जा रही है, जिस निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.5.2025 को मातहत जिला रसद अधिकारी कार्यालय में आने पर हुई, जिस पर आलोच्य एकपक्षीय निर्णय की प्रति वास्ते विधिवत आवेदन पेश किया गया जिस पर नकल दिनांक 20.5.2025 को प्राप्त हुई जिस पर अपील हाजा बिना किसी देरी के पेश की जा रही है। आलोच्य निर्णय दिनांक 17.4.2025 की जानकारी दिनांक 20.5.2025 तक का समय लाईल्मी करार दिया जाकर अपील अन्दर अवधि करार दिये जाने योग्य है। रफाये हुज्जत पृथक से दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एकपक्षीय है। अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान की बावत रेस्पोडेन्ट के मातहत अधिकारी प्रवर्तन निरीक्षक कठूमर के द्वारा दिनांक 13.12.2024 को जांच कार्यवाही की जाकर तैयार की गई जांच रिपोर्ट में पोस मशीन सं. 16637 का स्टॉक मिलान करने व भौतिक सत्यापन करने पर उचित मूल्य सामग्री गेहूं का स्टॉक पोस मशीन के अनुसार पूरा था। लेकिन माह दिसम्बर 2024 का उचित मूल्य सामग्री गेहूं जिले के उचित मूल्य सामग्री के सप्लायर व उसके प्रतिनिधि द्वारा मौके पर समय पर गेहूं उपलब्ध नही कराये जाने के कारण इस वजह से मशीन में send to pos नहीं हुआ, क्योंकि जब गेहूं ही प्राप्त नहीं हुआ तो सैंड तो pos कैसे होता, उचित मूल्य सामग्री गेहूं प्राप्त होने पर ही send to pos किया जाता है। जांच के उपरान्त जिला सप्लायर द्वारा अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान के लिए उचित मूल्य सामग्री गेहूं उपलब्ध करा दिया गया था, जिस पर गेहूं उपलब्ध होते ही पोस मशीन में सैंड तो पीओएस कर दिया गया था।

फर्द मौका दिनांक 13.12.2024 के समय मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं से उचित मूल्य दुकानदार के व्यवहार एवं गेहूं के बदले पैसे देने 20 रूपये किग्रा के बाबत पूछने पर उचित व्यवहार करना बताया गया व पूरा गेहूं मिलना बताया गया तथा गेहूं मिलना बताया गया व किसी भी उपभोक्ता द्वारा अपीलान्ट की कोई शिकायत नही की गई व ग्रामवासियों उपभोक्ताओं के मौका पर्चा पर बतौर सहमति व की गई कार्यवाही पर हस्ताक्षर किये गये है, जो गौर श्रीमान है। आलोच्य निर्णय में दर्ज अनुसार अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 24.12.2024 को एकपक्षीय रूप से निलंबित किया गया था जो कि 90 दिवस में अर्थात 24.3.2025 तक स्वतः ही विधिक रूप से बहाल होना चाहिए था। केवल

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

90 दिन तक ही प्राधिकार पत्र को निलम्बित रखा जा सकता है, 90 दिवस के अन्दर प्राधिकार पत्र की जांच का फैसला करना होता है, 90 दिवस के उपरान्त स्वतः ही प्राधिकार पत्र बहाल हो जाता है। जैसा कि श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.09.2008 एवं 07.07.2009 में दिशा निर्देश दिये हुए है।

राज. खाद्यान्न एवं अन्य निबंध। कला। (डिस्ट्रिक्ट के रेग्यु) आदेश 1976 के सैक्टर 8 के क्लॉज 2 के अनुसार

"No order of cancellation shall be made under this order unless the authorization holder has been given a reasonable opportunity of stating his case against the proposed cancellation but during the pendency or in contemplation of proceedings of cancellation of authorization, the authorization can be suspended for a period not exceeding 90 days without giving any opportunity to the authorization holder of stating his case."

मिन अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 24.12.2024 को निलंबित किये जाने की कोई नोटिस मिन अपीलान्ट को मातहत अधिकारी जारी नहीं किया गया, ना ही कोई नोटिस प्राप्त हुआ। मिन अपीलान्ट के मातहत अधिकारी के समक्ष दिनांक 02.4.2025 को उपस्थित होने पर मिन अपीलान्ट को मातहत कार्यालय से एक कारण बताओ नोटिस दिनांकित 11.3.2025 का प्रदान किया गया, जिसका विस्तृत जवाब उसी दिन दिनांक 02.4.2025 को मिन अपीलान्ट द्वारा मातहत अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया, जो तथ्य गौर श्रीमान है।

मिन अपीलान्ट को जो कारण बताओ नोटिस दिनांकित 11.3.2025 का जो दिनांक 02.4.2025 को प्रदान किया गया था, उसमें 05 आरोप वर्णित किये गये थे, जिनका जवाब मिन अपीलान्ट द्वारा निम्न आधारों पर दिनांक 02.4.2025 को दिया गया। आपको आवंटित पोस कोड 16367 में दर्ज स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर 5958.70 किग्रा गेहूं कम पाया गया। जवाब – वक्त जांच प्रार्थी की पोस कोड 16367 में दर्ज स्टॉक 5958.70 किग्रा गेहूं प्रार्थी के पास मौजूद है, जिसका भौतिक सत्यापन किया जा सकता है। आपको दिसम्बर 2024 के पेटे चालान नं. pko00014515109 दिनांक 12.11.2024 को 5958.70 किग्रा गेहूं आपूर्ति होने के बाद भी वक्त जांच तक रोंड टू पोस नहीं किया गया। जबकि विभागीय नियमानुसार गेहूं आपूर्ति के 24 घण्टे में send to pos करना होता है। इस संबंध में आपके द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। जवाब – मेरे द्वारा माह दिसम्बर 2024 के पेटे 5958.70 किग्रा गेहूं प्राप्त होने पर पोस मशीन में send to pos कर लिया गया था। मौके पर उचित मूल्य दुकान पर स्टॉक मूल्य सूची बोर्ड को प्रदर्शन करना नहीं पाया गया। जवाब – मेरे द्वारा स्टॉक मूल्य सूची बोर्ड पर आवश्यक सूचनाओं का अंकन नियमित रूप से किया जाता है। वक्त जांच अस्पष्ट अंकन होने पर पुनः लिखवा दिया गया था। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा अपनी दुकान पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार मिव उप अभियान के तहत बैनर पोस्टर चस्पा नहीं किया गया। जवाब – मेरे द्वारा मिव उप अभियान के तहत पोस्टर मेरी दुकान पर चस्पा कर दिया गया है। मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं से गेहूं के बदले 20 रू० प्रति किलो की दर से पैसे देने के संबंध में पूछने पर गेहूं के बदले गेहूं मिलना अवगत करवाया। जवाब – मेरे द्वारा सभी पात्र उपभोक्ताओं को समय पर राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। उपभोक्ताओं को मेरे वितरण कार्य से कोई शिकायत नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा उपभोक्ताओं को आवंटित राशन सामग्री का नियमानुसार वितरण किया जा रहा है तथा वर्तमान तक भी उपभोक्ताओं की वितरण संबंधी कोई शिकायत प्रार्थी के विरूद्ध नहीं है। प्रार्थी को निलंबित हुए 90 दिवस की अवधि पूर्ण हो रही है। अतः विभागीय दिशा निर्देशानुसार प्रार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल करने की कृपा करें।

कारण बताओ नोटिस में जो आरोप विभाग द्वारा लगाये गये थे वो राजनैतिक दबाव के कारण लगाये गये है। केवल प्रकरण बनाने एंव अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने की नियत से प्रकरण बनाया जाकर एकपक्षीय रूप में निर्णीत किया गया है जबकि अपीलान्ट के विरूद्ध कोई गंभीर अपराध नहीं बनता है। जवाब नोटिस में वर्णित तथ्यों पर मातहत अदालत ने समुचित गौर ना कर आलोच्य निर्णय एकपक्षीय रूप में पारित किया गया है, जो कि अपास्त व अभिखण्डित फरमाए जाने योग्य है। अपीलान्ट के कार्य व्यवहार के चलते सरपंच/प्रशासक ग्राम पंचायत रेटा एवं पंचायत समिति सदस्य, रेटा द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने वास्ते अनुशंषा की गई है। अपीलान्ट की पत्नी जो कि पंचायत समिति सदस्य है एवं पंचायत समिति की चुनावी रंजिश की वजह से विरोधी पक्ष जो चुनाव हारे वो अपीलान्ट के विरूद्ध झूठी शिकायत करते है, जो तथ्य गौर श्रीमान है।

जब अपीलान्ट के पास गेंहू प्राप्त नहीं हुआ, ना ही अपीलान्ट की कोई गेंहू प्राप्ति रसीद है तो उस स्थिति में अपीलान्ट के विरूद्ध किसी प्रकार का गेंहू के गबन का प्रकरण नहीं बनता है, जिस कारण से भी अपीलान्ट के पीडीआर एक्ट 1952 के तहत कार्यवाही का कोई न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है, जिस कारण से भी आलोच्य निर्णय अपास्त व अभिखण्डित फरमाए जाने योग्य है। अपीलान्ट वर्ष 1997 से उचित मूल्य दुकानदार के कार्य को पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करता चला आ रहा है। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त होने से अपीलान्ट के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। उचित मूल्य सामग्री के वितरण से बनने वाली कमीशन राशि से ही अपीलान्ट

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

स्वयं का व अपने परिवार की गुजर बसर करता है। न्यायाहित में अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना आवश्यक है।

प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार के खिलाफ निर्णय या फैसला देने से पूर्व समुचित सुनवाई, जवाब एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए जो मातहत जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलान्ट को प्रदान नहीं किया गया है जिस कारण से एकपक्षीय निर्णय दिनांक 17.04.2025 निरस्त फरमाये जाने योग्य है एवं अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा प्रकरण सं. 27/2024 बअनुवान सरकार बनाम रंजीत सिंह, उ.मू.दु. में पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांक 17.4.2025 जिसके द्वारा अपीलान्ट (पॉस कोड 16637) का प्राधिकार पत्र सं. 909/1997 विधि विरूद्ध तरीके से निरस्त किया गया है, पीडीआर एक्ट 1952 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेश दिये गये है, वो निर्णय निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल करते हुए उचित मूल्य दुकान रंजीत सिंह, उ.मू.दु., 1/2 भाग, ग्राम पंचायत रेटा, तहसील कठूमर, जिला अलवर (राज०) के उचित मूल्य सामग्री के उठाव एवं वितरण (सप्लाई) चालू करने का आदेश एवं अन्य न्यायोचित आज्ञा व आदेश जो भी अपीलान्ट के पक्ष में माननीय उचित समझे प्रदान करने की कृपा करें।

विभागीय परोकार ने अपनी बहस में कथन किया गया है कि उचित मूल्य दुकानदार श्री रंजीत सिंह, उचित मूल्य दुकानदार पोस कोड 16367, ग्राम पंचायत रेटा, तहसील कठूमर, जिला अलवर की राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत मिलने पर श्री विजयपाल, प्रवर्तन निरीक्षक, कठूमर द्वारा दिनांक 13.12.2024 को जांच की गई थी। जिसमें भौतिक सत्यापन के दौरान 5958.70 किग्रा गेहूं कम पाया गया। यह है कि स्टॉक कम मिलने पर इस कार्यालय के आदेश दिनांक 24.12.2024 के द्वारा उक्त उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया था। यह है कि उचित मूल्य दुकानदार श्री रंजीत सिंह, उचित मूल्य दुकानदार पोस कोड 16367, ग्राम पंचायत रेटा, तहसील कठूमर, जिला अलवर का अटेचमेंट आदेश क्रमांक रसद/2025/171 दिनांक 15.01.2025 के द्वारा श्री विजय सिंह, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत रेटा, तहसील कठूमर, जिला अलवर के लगाया गया था। उक्त क्रम में चार्ज हस्तांतरण दिनांक 18.01.2025 को पोस मशीन में दर्ज स्टॉक 7244.98 किग्रा का हस्तांतरण आज दिनांक तक नहीं किया गया है। यह है कि श्री रंजीत सिंह, उचित मूल्य दुकानदार पोस कोड 16367, ग्राम पंचायत रेटा, तहसील कठूमर, जिला अलवर द्वारा पोस मशीन में दर्ज स्टॉक 7244.98 किग्रा गेहूं की सुपुर्दगी नही देने व संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर इस कार्यालय के निर्णय दिनांक 17.04.2025 द्वारा श्री रंजीत सिंह, उचित मूल्य दुकानदार पोस कोड 16367, ग्राम पंचायत रेटा, तहसील कठूमर, जिला अलवर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर गनन किया गया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य का अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया। अपीलांट ने आदेश दिनांक 17.04.2025 के विरूद्ध दिनांक 26.05.2025 को पेश किया गया है। प्रार्थना–पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलांट ने अपील पेश कर तर्क किया है कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने व विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन करने पर प्रवर्तन निरीक्षक फर्द मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 13.12.2024 के अनुसार उचित मूल्य दुकानदार पोस मशीन 16367 में दर्ज स्टॉक गेंहू 11005.98 किग्रा का भौतिक सत्यापन करने पर 220 बैग 50 किग्रा व कुछ खुला गेंहू जो भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया। माह दिसम्बर 2024 के गेंहू के संबंध में पूछने पर आपूर्ति नहीं होना बताया गया। मौके पर ट्रक चालान संख्या CHAW00014515109 दिनांक 12.11.2024 के अनुसार 5958.70 किग्रा गेंहू की आपूर्ति होने पर सेंड टू पोस करने के संबंध में उचित जवाब नहीं दिया गया। मौके पर दुकान पर स्टॉक मूल्य सूची बोर्ड को प्रदर्शन करना नहीं पाया गया। उचित मूल्य दुकानदार के द्वारा अपनी दुकान पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार Give up Program का बैनर/पोस्टर चस्पा नहीं किया गया। उचित मूल्य दुकानदार के स्टॉक कम मिलने पर इस कार्यालय के आदेश दिनांक 2412.2024 के द्वारा उक्त उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया गया। इसके उपरान्त श्री रंजीत सिंह उचित मूल्य दुकानदार पोस कोड 16367 ग्राम पंचायत रेटा तहसील कठूमर जिला अलवर का अटेचमेन्ट आदेश क्रमांक रसद/2025/171 दिनांक 15.01.2025 के द्वारा श्री विजय सिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत रेटा तहसील कठूमर जिला अलवर के लगाया गया था। उक्त क्रम में में चार्ज हस्तान्तरण दिनांक 18.01.2025 को पोस मशीन में दर्ज स्टॉक 7244.98 किग्रा गेंहू का स्थान्तरण नहीं करना बताया गया। श्री रंजीत सिंह उचित मूल्य दुकानदार पोस कोड संख्या 16367 ग्राम पंचायत रेटा तहसील कठूमर जिला अलवर द्वारा पोस मशीन में दर्ज स्टॉक 7244.98 किग्रा गेंहू की सुपुर्दगी नहीं देने व संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर इस कार्यालय के निर्णय

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

दिनांक 17.04.2025 के द्वारा श्री रंजीत सिंह उचित गूल्य दुकानदार का प्राधिकार पर निरस्त कर दिया गया।

यहा यह उल्लेखनीय है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उचित गूल्य दुकानदार को प्रथम नोटिस क्रमांक 220 दिनांक 16.01.2025 को जारी किया गया था। जिस पर उचित मूल्य दुकानदार को तामील नहीं होना पाया गया। पुनः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कारण बताओ नोटिस क्रमांक 955 दिनांक 11.03.2025 को उचित गूल्य दुकानदार को तामील प्राप्त हुई। उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब अपीलान्ट रंजीत सिंह ने दिनांक 02.04.2025 को प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि प्रार्थी के पोस कोड संख्या 16367 में दर्ज स्टॉक 5958.70 किग्रा गेंहू प्रार्थी के पास मौजूद है जिसका भौतिक सत्यापन किया जा सकता है एवं माह दिसम्बर 2024 के पेटे 5958.70 किग्रा गेहूं पोस मशीन में रोंड टू पोस कर दिया गया है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उचित गूल्य दुकानदार का दिनांक 24.12.2024 को प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया जिसे 90 दिवस में प्राधिकार पत्र की जांच कर निर्णय करना होता है जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 24.03.2025 तक निर्णय नहीं किया गया। उक्त के क्रम में श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के पत्र दिनांक 02.09.2008 एवं दिनांक 07.07.2009 में दिशा–निर्देश दिये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उचित गूल्य दुकानदार श्री रंजीत सिंह, उचित गूल्य दुकानदार पोस कोड 16367, ग्राम पंचायत रेटा, तहसील कठूमर, जिला अलवर का अटेचमेंट आदेश क्रमांक रसद/2025/171 दिनांक 15.01.2025 के द्वारा श्री विजय सिंह, उचित गूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत रेटा, तहसील कठूगर, जिला अलवर के लगाया गया परन्तु रंजीत सिंह उचित मूल्य दुकानदार ने उक्त गेंहू का चार्ज हस्तान्तरण नहीं किया गया जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न चार्ज हस्तान्तरण प्रपत्र में दिनांक 15.01.2025 को उचित मूल्य दुकानदार रंजीत सिंह के द्वारा पोस कोड मशीन 16367 ग्राम रेटा तहसील कठूमर जिला अलवर में दर्ज 7244.98 का पोस मशीन विद चार्जर मशीन श्री विजय सिंह के द्वारा प्राप्ति के हस्ताक्षर गवाह सरपंच ग्राम पंचायत रेटा व गंगतूराम एवं सगयसिंह उल्लेखित है। उक्त तथ्यों पर गौर नहीं करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.04.2025 के द्वारा श्री रंजीत सिंह उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध होता हो कि उक्त उचित मूल्य दुकानदार के द्वारा गेंहू का गबन किया गया है या कोई शिकायती प्रार्थना पत्र की रिपोर्ट में यह सिद्ध होता हो कि उचित मूल्य दुकानदार के द्वारा गबन या अनियमितता की गई हो। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकर किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी, अलवर का आदेश दिनांक 17.04.2025 निरस्त किया जाता है। जिला रसद अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि अपीलान्ट श्री रंजीत सिंह उचित गूल्य दुकानदार ग्राम रेटा तहसील कठूगर जिला अलवर का प्राधिकार पत्र नियमानुसार बहाल किये जाने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)